

प्रेस नोट थाना राजघाट गोरखपुर दिनांक 11.01.2023

**240 ली० अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 1.150 कि०ग्रा० नौसादर व 200 ग्राम
यूरिया के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण, विक्रय, अपराधो की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली जनपद गोरखपुर के निकट कुशल पर्यवेक्षण में तथा राजेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना राजघाट गोरखपुर के नेतृत्व में चौकी प्रभारी कुँवर गौरव सिंह मय पुलिस टीम द्वारा 200 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 200 ग्राम यूरिया एवं 1.150 कि०ग्रा० नौसादर के साथ दो अभियुक्तगण 1- बाबूलाल निषाद पुत्र लल्लन निषाद निवासी अमरुद मण्डी चकरा अब्बल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर 2-रजत त्रिपाठी पुत्र राकेश त्रिपाठी निवासी हाँसुपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में थाना राजघाट पर मु०अ०सं० 07/2023 धारा 272 भादवि० व 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1- बाबूलाल निषाद पुत्र लल्लन निषाद निवासी अमरुद मण्डी चकरा अब्बल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2- रजत त्रिपाठी पुत्र राकेश त्रिपाठी निवासी हाँसुपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

240 ली० अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 1.150 कि०ग्रा० नौसादर व 200 ग्राम यूरिया

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 07/2023 धारा 272 भादवि० व 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम-

- 1- उ०नि० कुँवर गौरव सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 2- का० अर्जून शर्मा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 3- का० पप्पू गौतम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 4- का० दीपक कुशवाहा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।